14/2/2025 पत्रावली पेश हुई। वादी व वकील वादी अनुपस्थित। एक-एक कर बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु ना ही तो वादी व ना ही उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। अतः वादी का वाद पत्र अग्रिम पैरवी अग्रिम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नेवर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Jayendra